संख्या : 3615/सोलह-1-2010-13(34)/2007

प्रेषक

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2010

शासन सन्दर्भ/अति आवश्यक

विषयः प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही चार्ज करने तथा पूर्व से अध्ययनरत छात्रों से उनके प्रवेश वर्ष में प्रभावी शुल्क चार्ज करने का परिपालन सुनिश्चित कराना तथा मण्डलीय समितियाँ गठित कर चेकिंग कराने के संबंध में ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में दोनों प्राविधिक विश्वविद्यालयों (गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर) के अधीन लगभग 663 निजी अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थायें सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त डिप्लोमा स्तर की निजी संस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है तथा वर्तमान में 135 डिप्लोमा स्तरीय निजी संस्थाओं ने प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निजी क्षेत्र की संस्थाओं की फीस निर्धारण हेतु गठित समिति ने वर्ष 2010-11 के शैक्षणिक सत्र से सभी निजी अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं तथा निजी पालीटेक्निकों की फीस का निर्धारण कर दिया गया है जिसकी सूचना/विवरण समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup.in पर उपलब्ध है ।

2. शुल्क निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2010-11 के लिए निर्धारित किया गया शुल्क शैक्षिक सत्र 2010-11 से तीन वर्ष अर्थात 2012-13 तक लागू रहेगा तथा नये

.....2

Vipin- GO-2010 II

प्रथम वर्ष के प्रवेशित छात्रों से लिया जायेगा। सिद्धान्ततः द्वितीय से चतुर्थ वर्ष के छात्रों से वही शुल्क लिया जाता रहेगा जो उनके प्रवेश के वर्ष में प्रभावी शुल्क लिया गया है। गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ने इस स्थिति को अपने पत्रांक गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/26779-27371 दिनांक 31.8.2010 (संलग्नक-1) द्वारा निदेशक/प्राचार्य, प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं को तथा शासन के पत्र संख्या 2869/सोलह-1-2010-297/2010, दिनांक 7.9.2010 (संलग्नक-2) द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को एवं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फाउण्डेशन के पत्र के उत्तर में शासन के पत्र दिनांक 11.8.2010 (संलग्नक-3) द्वारा अध्यक्ष/महासचिव, टेक्नीकल इंस्टीट्यूशन फाउण्डेशन को भी स्पष्ट कर दिया गया है ।

3. शासन को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही है कि संस्थाओं द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस छात्रों से चार्ज किया जा रहा है। अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2418/सोलह-1-प्रा0शि0-1-2007-एलसी-2007, दिनांक 17.8.2007 को संशोधित किया जाता है तथा इसके स्थान पर प्राविधिक विश्वविद्यालयों एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधीन सम्बद्ध निजी डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही चार्ज करने तथा पूर्व से अध्ययनरत छात्रों से उसके प्रवेश वर्ष में प्रभावी शुल्क चार्ज करने के संबंध में परिपालन सुनिश्चित करने एवं चेकिंग हेतु संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा निम्नानुसार जांच समिति गठित की जायेगी :-

(1) संबंधित जिलाधिकारी का प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी से निम्न स्तर का न हो ।

(2) क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग (सूची संलग्नक-4) अथवा राज्य द्वारा अनुदानित अभियंत्रण संस्थाओं के वरिष्ठ शिक्षक (सूची संलग्नक-5) अथवा राजकीय पालीटेक्निकों के वरिष्ठ प्रधानाचार्य (सूची संलग्नक-6) अथवा मण्डलायुक्त के विवेकानुसार मण्डलीय स्तर के अधिकारी में से एक अधिकारी।

.....3

4. जांच समिति किसी जनपद के विद्यालयों के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच कर मण्डलायुक्त को जाँच आख्या प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर मण्डलायुक्त अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।

5. मण्डलायुक्त अपने मण्डल में स्थापित निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही चार्ज करने तथा अध्ययनरत छात्रों से उनके प्रवेश वर्ष में प्रभावी शुल्क चार्ज करने के संबध में परिपालन सुनिश्चित करने तथा उसकी चेकिंग हेतु उक्तानुसार मण्डलीय समितियाँ गठित कर जाँच कराकर प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

6. मण्डलायुक्त प्राप्त शिकायतों पर तीव्रता से जांच करायेंगे तथा अनावश्यक शुल्क वसूली पर प्रभावी नियंत्रण रखेंगे। शिकायतों की चेकिंग कर जांच समिति जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त को अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर आख्या देगी तथा उसकी प्रति उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय व शासन को भी प्रेषित करेगी। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि ली जा रही हो तो जिलाधिकारी से अपेक्षा होगी कि वह इन्फोर्समेंट कर दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित करें ।

7. मण्डलायुक्त जाँच की समयबद्ध पूर्ति व जिलाधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की पाक्षिक समीक्षा अगले दो माहो तक, तत्पश्चात् प्रतिमाह करेंगे व विवेकानुसार प्रभावी नियंत्रण रखेंगे ।

8. प्राविधिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों की जिम्मेदारी रहेगी कि वह सम्बन्धित मण्डलायुक्तों से सम्पर्क कर जाँच समिति के सदस्यों को नामित कराकर तीव्रता से जांच सम्पन्न कराये।

9. गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ / महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर/ प्राविधिक शिक्षा परिषद से भी अपेक्षा की जाती है कि उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे ।

.....4

10. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की जाती है।

<u>संलग्नक : यथोपरि ।</u>

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
(2) कुलपति, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ / महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर
(3) कुलसचिव, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ / महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 कानपुर ।
(5) सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा [illegible] मध्य क्षेत्र, [illegible]मण्डी चौराहा पुराना महिला पालीटेक्निक छात्रावास, चारबाग, लखनऊ / पश्चिमी क्षेत्र कैम्पस चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय महिला पालीटेक्निक दौराला, मेरठ/पूर्वी क्षेत्र, राजकीय महिला पालीटेक्निक कैम्पस, सुन्दरपुर, <u>वाराणसी/बुन्देलखण्ड</u>, ग्वालियर रोड, झाँसी
(7) विशेष सचिव (श्रीमती मिनिस्ती एस0)/श्री राम [illegible]

आज्ञा से,

(मिनिस्ती एस0)
विशेष सचिव

संलग्नक-4

गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/ 26779-273.. दिनांक: 31 अगस्त, 2010

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएं ।

विषय: निर्धारित शिक्षण शुल्क लिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करें ।

1. जी0बी0टी0यू0/कुस0का0/एके0/2010/16277-16870, दिनांक 15.7.10 ।
2. गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/19172-19765, दिनांक [illegible].10 ।
3. गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/24256-24849; दिनांक 8.8.10 ।
4. गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/24974-25567, दिनांक [illegible].10 ।

इस संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय के उक्त पत्रो द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि आपकी संस्था में अध्ययनरत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्रों से उनके प्रवेश के वर्ष में प्रभावी शिक्षण शुल्क ही लिया जायेगा । प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है, वह शिक्षण शुल्क वर्ष 2010-11 में नव प्रवेशित छात्रों से ही लिया जायेगा। उक्त की सूचना के साथ संस्था स्तर पर तदनुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है।

इस संबंध में सूचित करना है कि कतिपय संस्थाओं के छात्र एवं अभिभावक विश्वविद्यालय में आकर यह शिकायत कर रहे है कि संस्थाओं में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत छात्रों से प्रवेश के वर्ष में 'ली गई शिक्षण शुल्क से अधिक शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है और इसी आशय के समाचार दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए है कि संस्थाओं द्वारा प्रभावी शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा' है। यह अत्यंत गंभीर प्रकरण है। अतः उक्त के परिपेक्ष्य में सभी संस्थाओं को पुनः निर्देशित किये जाने की अपेक्षा है कि अपने संस्थान में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत छात्रों से उनके 'प्रवेश के वर्ष में प्रभावी शिक्षण शुल्क ही लिया जाए, उससे अधिक अथवा विभिन्न मदों के अर्न्तगत अधिक शुल्क कदापि न लिया जाए ।

इस संबंध में यह अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा गठित प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित 218 अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये सत्र 2010-11 हेतु शिक्षण शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है, समिति द्वारा निर्धारित उक्त शुल्क शैक्षिक सत्र 2010-11 से आगामी दो वर्षो (कुल तीन वर्ष) अर्थात 2010-11,

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन-2732193, फैक्स-2732185

2011-12 एवं 2012-13 के लिये लागू होगा। [illegible] जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं [illegible] मदों के नाम पर कोई शुल्क चार्ज नही किया जायेगा । समिति द्वारा जिन संस्थाओं [illegible] 11 के लिये शिक्षण शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है, उन संस्थाओं की [illegible] शुल्क प्रवेश और फीस नियमन समिति की वेबसाइट www.afrcup.in पर उपलब्ध है

उक्त के अतिरिक्त अवशेष जिन संस्थाओं [illegible] तिथि तक किन्ही कारणवश अपने प्रस्ताव प्रेषित [illegible] शिक्षण शुल्क प्रवेश और फीस नियमन समिति के आदेश संख्या [illegible] दिनांक [illegible] 10 द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसी संस्थाओं की सूची भी समिति की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। समिति की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध [illegible] को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uptu.ac.in से भी लिंक किया गया है।

आपसे अपेक्षा है कि समिति द्वारा [illegible] लिये संस्थाओं का शिक्षण शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, अतएव संस्थाएं [illegible] में तद्निर्धारित शिक्षण शुल्क ही सत्र 2010-11 में नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं से लेना [illegible] के अतिरिक्त जिन संस्थाओं द्वारा समिति को निर्धारित तिथि के अंदर [illegible] किये हैं, उन संस्थाओं के [illegible] पाठ्यक्रमवार शिक्षण शुल्क का निर्धारण समिति [illegible] शिक्षण शुल्क ही नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं से [illegible] सुनिश्चित [illegible] ।

इस संबंध में पुनः सूचित किया जाता है कि प्रवेश [illegible] समिति द्वारा [illegible] 2010-11 हेतु संस्थाओं की विभिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षण श[illegible] किया गया है, [illegible] 2010-11 में नव प्रवेशित छात्रों से ही लिया जाना है। [illegible] कि यदि किसी [illegible] द्वारा संस्था में अध्ययनरत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष [illegible] मानी जायेगी [illegible] शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाता है, तो [illegible] की सूचना [illegible] विश्वविद्यालय से ऐसी संस्था/प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध [illegible] । अतः अपेक्षा है कि कृपया संस्था स्तर पर तदनुसार [illegible]

भवदीय

[illegible]

पृष्ठांकन सं० व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, [illegible]
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन [illegible]
3. वित्त अधिकारी, जी0बी0टी0यू0, लखनऊ ।
4. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, जी0बी0टी0यू0, [illegible]

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

संलग्नक-3

संख्या : [illegible]/सोलह-1-2010-297/2010

प्रेषक

वृन्दा सरूप
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 07 [illegible], 2010

विषयः निजी क्षेत्र की स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों तथा डिप्लोमा स्तरीय पालीटेक्निकों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु समिति द्वारा निर्धारित फीस लिए जाने की कार्यवाही तथा सत्यापन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र की स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों (बी0टेक0, बी0फार्मा, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, बी0एच0एम0सी0टी0 तथा बी0आर्क0) तथा डिप्लोमा स्तरीय निजी क्षेत्र की पालीटेक्निकों हेतु सत्र 2010-11 के लिए फीस का निर्धारण प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा कर दिया गया है जिसकी सूचना/विवरण समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup.in पर उपलब्ध है ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यह सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि आपके जनपद में स्थापित संस्थाए समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही छात्रों से ले। कृपया इसकी सत्यापन रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि संस्थाएं समिति द्वारा निधारित फीस ही नव प्रवेशित छात्रों से ले रहीं हैं। यदि किसी संस्था द्वारा नव प्रवेशित छात्रों से अधिक फीस ली जा रही है तो उससे भी शासन को अवगत कराया जाये। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा सत्र 2010-11 के लिए जो फीस निर्धारित की गयी है वह केवल नये प्रवेशित छात्रों पर ही लागू होगी, पूर्व से अध्ययनरत छात्रों से वही फीस ली जायेगी जो उनके प्रवेश के समय लागू थी। सत्र 2010-11 के लिए निर्धारित फीस पूर्व से अध्ययनरत छात्रों से नहीं ली जाएगी। कृपया इसका भी सत्यापन कराने का कष्ट करें ।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कुलसचिव, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
(2) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
अनु सचिव

प्रतिलिपि   संलग्नक-3

[illegible] -2010-292/10

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. श्री देवमूर्ति,
अध्यक्ष, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फाउण्डेशन,
श्री राममूर्ति स्मारक कालेज आफ इंजी0 एण्ड टेक्नो0,
एम-3, रामपुर गार्डन, बरेली ।

2. डा0 अतुल के0 जैन,
महासचिव, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फाउण्डेशन
आइडियल इंस्टी0 आफ टेक्नो0,
46, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद ।

<u>प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1</u>   <u>लखनऊ : दिनांक : 11 अगस्त, 2010</u>

विषयः- सत्र 2010-11 के लिए शैक्षिक फीस चार्ज किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 28.7.20[illegible] का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि शैक्षिक सत्र 2010-[illegible] के लिए निर्धारित फीस सत्र 2010-11 में पूर्व से अध्ययनरत छात्रों से भी लिया जाना चाहिए।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि [illegible] द्वारा निर्धारित फीस 3 वर्षों के लिए प्रभावी होने का आशय यह है कि प्रश्नगत 3 वर्षों में इंट्रीलेवल पर छात्रों से वही फीस ली जायेगी एवं उन वर्षों में प्रवेशित छात्रों द्वारा इंट्रीलेवल पर दी [illegible] फीस ही पूरे अध्ययन अवधि में उनके लिए प्रभावी होगी। अतः संस्था में पूर्व से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से शैक्षिक सत्र 2010-11 के लिए निर्धारित फीस लिया जाना नियम विरुद्ध [illegible] वर्ष में प्रवेशित छात्रों से उनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना है। शैक्षिक सत्र 2010-11 के लिए निर्धारित फीस केवल नये प्रवेशित छात्रों पर ही लागू होगी। कृपया इसका पालन कड़ाई से किया जाये ।

भवदीय,

11/8/2010

(अनिल कुमार बाजपेई)
अनु सचिव

संलग्नक- 4

नाम	दूरभाष संख्या व मोबाइल	कार्यालय पता
श्री हरिओम वर्मा, संयुक्त निदेशक, मध्यक्षेत्र, लखनऊ	0522-2683454, 2683840, 80048-50032	बांसमण्डी चौराहा, पुराना महिला छात्रावास, चारबाग, लखनऊ ।
श्री एस0एस0 राम, संयुक्त निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र दौराला, मेरठ	01237-231030 94150 79196	कैम्पस चौधरी मुख्तार सिंह, रा0 महिला पालि0, दौराला, जनपद मेरठ
श्री जे0एन0 तिवारी संयुक्त निदेशक, पूर्वी क्षेत्र वाराणसी	0542-2570509 94153-50621	संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा पूर्वी क्षेत्र सुन्दरपुर, वाराणसी, राजकीय महिला पाली0 कैम्पस
श्री रविकिशोर वर्मा संयुक्त निदेशक बुंदेलखण्ड, झाँसी	0510-2442354 94525-28744	ग्वालियर रोड, झाँसी ।

संलग्नक-5

गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय
(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)
Gautam Buddh Technical University
(Formerly Uttar Pradesh Technical University)

प्रो. कृपा शंकर
कुलपति
Prof. Kripa Shanker Ph.D. (Cornell)
Vice Chancellor

आई.ई.टी. परिसर, सीतापुर रोड,
लखनऊ-226 021 (उ0 प्र0) भारत
I.E.T. Campus, Sitapur Road,
Lucknow-226 021 (U.P.) India

List of Suggested Faculty Members from the Government Colleges for Monitoring Private Institutions

HBTI Kanpur			
	Dr U S Siddiqui	Professor	Mathematics
	Dr S K Upadhyay	Professor	Chemistry
	Dr Ashok Kumar	Professor	Physics
	Dr Onkar Singh	Professor	Mechanical Engineering
	Dr Raghuraj Singh	Professor	Comp. Sc. & Engg.
	Dr JSP Rai	Professor	Plastic Technology
IET Lucknow			
	Dr D N Kakkar	Professor	Management
	Dr V K Singh	Reader	Electronics Engineering
	Dr (Mrs) Alka Tripathi	Reader	Chemistry
	Dr (Mrs) Neelam Srivastava	Reader	Electronics Engineering
	Dr Manish Gaur	Reader	Computer Science and Engineering
MMMEC Gorakhpur			
	Dr D K Singh	Professor	Mechanical Engineering
	Dr V K Giri	Professor	Electrical Engineering
	Dr Udai Shanker	Professor	Computer Science and Engineering
	Dr A K Pandey	Reader	Electrical Engineering
	Dr P K Singh	Reader	Computer Science and Engineering
	Dr Arjun Dubey	Reader	English
BIET Jhansi			
	Dr Abhay K Verma	Professor	Civil Engineering
	Dr R N Verma	Professor	Computer Science and Engineering
	Dr V K Bhatt	Reader	Mechanical Engineering
	Dr Yashpal Singh	Reader	Computer Science and Engineering
	Dr Amitabh Srivastava	Reader	Civil Engineering
KNIT Sultanpur			
	Dr L U B Pandey	Professor	English
	Dr A S Pandey	Professor	Electrical Engineering
	Dr A K Singh	Professor	Chemistry
	Dr Ravindra Kumar Singh	Reader	Electrical Engineering

(Kripa Shanker)

Phone : +91-522-2732194 Fax : +91-522-2732189 Res. : +91-522-273.631
Email : [illegible] Website : www.uptu.ac.in, www.uptu.nic.in

संलग्नक-6 (1)

प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उ0प्र0, कानपुर।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
लखनऊ।

सं0: /कैम्प-नि0प्रा0शि0- 10, कानपुर : दिनांक- 09.2010

विषय:-प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत प्रधानाचार्य/का0 प्रधानाचार्य की सूची।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा दिनांक-21.09.2010 को दूरभाष पर दिये गये निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में नियमित प्रधानाचार्य के पदों पर मात्र 30 अधिकारी ही कार्यरत है। अधिकांश संस्थाओं मे विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता के पदों पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा संस्था प्रधानाचार्य के उत्तरदायित्वों को निर्वहन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों की सूची विचारार्थ प्रस्तुत है:-

क0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	मण्डल जहाँ के लिये उपयुक्त होंगे
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	आर0के0 वर्मा	संयुक्त निदेशक	प्राविधिक शिक्षा, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी	कानपुर/चित्रकूट/झांसी
2.	मनोज कुमार	प्रधानाचार्य	राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद	मेरठ
3.	के0एन0 गुप्ता	प्रधानाचार्य	राजकीय महिला पालीटेक्निक, इलाहाबाद	विन्ध्याचल/इलाहाबाद
4.	शैलेन्द्र प्रताप चौधरी	प्रधानाचार्य	राजकीय पालीटेक्निक, गोण्डा	देवीपाटन/बस्ती/फैजाबाद
5.	श्री बी0के0 वार्ष्णेय	कार्य0 प्रधानाचार्य	सावित्री बाई फूले राजकीय महिला पालीटेक्निक, सहारनपुर	सहारनपुर
6.	टी0सी0 मिश्रा	विभागाध्यक्ष विद्युत अभियंत्रण	एस0जी0एस0जे0 पालीटेक्निक, खुर्जा	अलीगढ़
7.	सलिल शर्मा	प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, बिजनौर	मुरादाबाद
8.	बी0के0 यादव	कार्य0 प्रधानाचार्य	राजकीय चर्म संस्थान, आगरा	आगरा
9.	एस0के0 गोविल	सचिव	संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ	लखनऊ
	श्रीमती दयाश्री कौल	प्रधानाचार्य	राजकीय महिला पालीटेक्निक, फैजाबाद	

10.	एन०डी० शर्मा	विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रानिक्स अभियन्त्रण	राजकीय महिला पालीटेक्निक, बरेली	बरेली
11.	एस०पी०सी० लाल	कार्य० प्रधानाचार्य	राजकीय महिला पालीटेक्निक, गोरखपुर	गोरखपुर
12.	एल०के० सिंह	कार्य० प्रधानाचार्य	राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर	वाराणसी / आजमगढ़

भवदीय,

(मधुकर)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०।